डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2001—कार्तिक 18, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-2-2/2001/1-8/स्था.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2001, जो श्री पी. आर. नंदी, जिला योजना अधिकारी, राजनांदगांव को पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन घोषित करने संबंधी आदेश को निरस्त करने संबंधी है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. इस विभाग के आदेश क्रमांक 1170/2001/साप्रवि, दिनांक 28-2-2001 के अनुक्रम में श्री पी. आर. नंदी, जिला योजना अधिकारी, राजनांदगांव एवं पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ) में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-2-2/2001/1-8.—निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विभाग में पदस्थ किया जाता है :—

1.	श्री एम. ए. अंसारी पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं सहकारिता विभाग.	पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, योजना, आर्थिक, सांख्यिकी एवं वाणिज्यिक कर विभाग.
2.	श्री एन. एन. सिंह, पदेन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	पदेन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं सहकारिता विभाग.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1213/99/व्ही.आई.पी./सा.प्र.वि./2001/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-10-2001 जिसके द्वारा श्री अजयपाल सिंह, भा.प्र.से. (1986) को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग पदस्थ किया गया था, के तारतम्य में आदेशित किया जाता है कि श्री अजयपाल सिंह द्वारा विशेष सचिव, पर्यटन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. (1982) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1175/2895/साप्रवि/2001/2 लीव/आईएएस.—श्री राजकमल, कलेक्टर कोरबा को दिनांक 22-10-2001 से 9-11-2001 (19 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 20, 21-11-2001 तथा 10, 11-11-2001 को उक्त सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री राजकमल को अवकाश से लौटने पर पुनः कलेक्टर कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री राजकमल को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

4. श्री राजकमल यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री राजकमल के अवकाश अवधि में कलेक्टर कोरबा का प्रभार श्री एस. के. जायसवाल, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1195/3059/साप्रवि/2001/2/लीव/आईएएस.—श्री टी. एस. छतवाल, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (रा. पु. प्रकोष्ठ) एवं शिक्षा विभाग, को दिनांक 5-11-2001 से 14-12-2001 (40 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16, 17 एवं 18 सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री छतवाल, यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश अवधि में श्री छतवाल को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

4. श्री छतवाल को अवकाश से लौटने पर पुनः सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (रा. पु. प्रकोष्ठ) एवं शिक्षा विभाग में के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1197/2034/साप्रवि/2001/2/लीव/आईएएस.—श्रीमती निधि छिब्बर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया को दिनांक 17-10-2001 से 29-10-2001 (13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्रीमती निधि छिब्बर के अवकाश काल में श्री ए. एल. टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर, कोरिया, अपने कार्य के साथ-साथ श्रीमती छिब्बर का कार्य भी देखेंगे.

3. अवकाश काल में श्रीमती निधि छिब्बर को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1206/2578/साप्रवि/2001/2.—श्री जवाहर श्रीवास्तव विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 2 नवम्बर 2001 से 20 नवम्बर 2001 (19 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री जवाहर श्रीवास्तव यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

4. श्री श्रीवास्तव को अवकाश से लौटने पर विशेष सचिव, सा.प्र. विभाग के पद पर अस्थाई रूप से पुनः पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2001

क्रमांक 1243/2801/साप्रवि/2001/2.—डॉ. एच. एल. प्रजापति, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर को दिनांक 20-8-2001 से 14-9-2001 (26 दिन) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 18, 19 अगस्त एवं 15 सितम्बर 2001 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ते हुए.

2. अवकाश काल में श्री प्रजापति को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. श्री प्रजापति, सचिव, वाणिज्यिक कर यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश से वापसी पर श्री प्रजापति को सचिव, वाणिज्यिक कर के पद पर अस्थायी रूप से पुनः पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर दिनांक 30 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1202/3058/साप्रवि/2001/लीव/आईएएस.—श्री दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-12-2001 से 29-12-2001 तक (11 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही 30-12-2001 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा को पुनः संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-24/गृह/2001.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र ''स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम'' (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	निम्न स्तर	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्रीमती लता सिंह	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-39/गृह/2001.—पशुपालन डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 24 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र ''विधि तथा प्रक्रिया प्रश्न-पत्र-1'' (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी,

में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

उच्च स्तर

बस्तर-संभाग

1.	श्री शिवकुमार चौरसिया	पारी प्रबन्धक

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-23/गृह/2001.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "सामान्य विधि प्रश्न-पत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

बस्तर-संभाग

1.	श्री गोपाल सिंह मुवेल	वन क्षेत्रपाल

बिलासपुर-संभाग

2.	श्री हबीबुल्लाह खान	वन क्षेत्रपाल
3.	श्री डी. आर. लदेर	वन क्षेत्रपाल

रायपुर-संभाग

4.	श्री आनन्द कुंदरया	वन क्षेत्रपाल
5.	श्री हिरेसिंह उइके	वन क्षेत्रपाल
6.	श्री समीर जौनाथन	वन क्षेत्रपाल
7.	श्री एम. आर. साहू	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-3/गृह/2001.—आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "विधि तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

उच्च स्तर

रायपुर-संभाग

1.	श्री आशीष श्रीवास्तव	जिला आबकारी अधिकारी

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-44/गृह/2001.—पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "लेखा तथा प्रक्रिया प्रश्न-पत्र-2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)

उच्च स्तर

बस्तर-संभाग

1.	श्री शिवकुमार चौरसिया	पारी प्रबन्धक

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-45/गृह/2001.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 24 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्न-पत्र-तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित

किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	निम्न स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री भगवती कुमार सिंह	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-26/गृह/2001.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "समाज शास्त्र" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	बस्तर-संभाग	
1.	श्री सागर चन्द्र गुप्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
2.	श्री सुन्दरलाल देवांगन	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त.
	बिलासपुर-संभाग	
3.	श्री गजेन्द्र सिंह सलाम	जिला संयोजक
	रायपुर-संभाग	
4.	सुश्री माया वारियार	जिला संयोजक
5.	श्री भूपेन्द्र कुमार राजपूत	जिला संयोजक

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-34/गृह/2001.—नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23-8-2001 को प्रश्न-पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्री दीपक कोसरे	सहायक भौमिकी विद्
	रायपुर-संभाग	
2.	श्री एस. के. पटले	सहायक भौमिकी विद्
3.	श्री धमेन्द्र साय	सहायक भौमिकी विद्
4.	श्री वेन्जामिन मिंज	सहायक भौमिकी विद्

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-16-13/11/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि बेकारी का निवारण करने तथा बेकारी से राहत प्रदान करने और संबंधित उपक्रम के कार्यरत श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा करने के उपाय के तौर पर औद्योगिक इकाई अर्थात् अम्बूजा सीमेन्ट इस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेन्ट लि.) रायपुर को चालू रखने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उक्त औद्योगिक इकाई को सहायता उपक्रम घोषित करना लोकहित में तथा श्रमिकों के हित

में आवश्यक तथा समीचीन है.

2. अतएव मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 32 सन् 1978) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक इकाई अर्थात् "अम्बूजा सीमेन्ट इस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेन्ट लि.) रायपुर" को दिनांक 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च 2001 तक एक वर्ष की कालावधि के लिए सहायता उपक्रम घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-16-13/11/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-13/11/2001 दिनांक 6-10-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th October 2001

NOTIFICATION

No. F-16-13/11/2001.—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary as well as expedient in the Public Interest and in the interest of workers to declare the Industrial Unit, namely Ambuja Cement Eastern Ltd., formerly Modi Cement Ltd., Raipur;

Relief undertaking with a view to enabling the continued running of Industrial Unit as a measure of preventing and of providing relief against un-employment and also to safeguard the interest of the labour working in the said Industrial Unit;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Section 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkram (Vishesh Upbandh) Sansodhan Adhiniyam 1978. (No. 32 of 1978) the State Government hereby declare the Industrial Unit namely "AMBUJA CEMENT EASTERN LTD., (formerly Modi Cement Ltd.), Raipur" a relief undertaking for a further period of one year with effect from 1st April, 2000 to 31st March, 2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. BEHAR, Joint Secretary.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2001

क्रमांक 2432/3771/श्रम/2001.—संविदा श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) मध्यप्रदेश नियम 1973 में उस संशोधन का जिसे राज्य सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का सं. 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, करना प्रस्तावित करती है, निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, एतद्द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 3 में :—

1. खण्ड (ङ) में शब्द "वस्त्र उद्योग" तथा शब्द "बीड़ी उद्योग" के स्थान पर क्रमश: शब्द "स्पंज आयरन" तथा "सीमेंट उद्योग" स्थापित किये जाएं.

2. खण्ड (च) में शब्द "वस्त्र उद्योग" तथा "बीड़ी उद्योग" शब्द के स्थान पर क्रमश: शब्द "स्पंज आयरन" तथा "सीमेंट उद्योग" स्थापित किए जाएं.

Raipur, the 15th October 2001

No.2432/3771/L/2001.—The following draft of amendment in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Madhya Pradesh Rules 1973, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 35 of the contract labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970) is hereby published as required by sub-section (I) of Section 35 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected there by and the notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration of the

expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the specified above will be considered by the state Government.

AMENDMENT

In the said rules, in rule 3 :—

1. In clause (e) for the word "Textiles" and the word "Bidi Industry", "Spenz Iron" and "Cement Industry" shall be substituted respectively.

2. In clause (l) for the word "Textiles" and the word "Bidi Industry" the words "Spenz Iron" and "Cement Industry" shall be substituted respectively.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. राव, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून, 2001

क्रमांक 1602/21-ब.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री तेजराम पटेल, अधिवक्ता रायगढ़ को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से फास्ट ट्रेक कोर्ट, रायगढ़ में अतिरिक्त लोक अभियोजन नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2001

क्रमांक 1602/21-ब.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जे. पी. झा, अधिवक्ता, बस्तर जिला-जगदलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से फास्ट ट्रेक कोर्ट, बस्तर, में अतिरिक्त लोक अभियोजन नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2001

क्रमांक 1602/21-ब.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1994) की धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री एम. एस. आलम, अधिवक्ता, जशपुर, छ. ग. को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से फास्ट ट्रेक कोर्ट, जशपुर में अतिरिक्त लोक अभियोजन नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2001

क्रमांक 2359-21-ब.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश क्रमांक 1602/21-ब, दिनांक 19-6-2001 को निरस्त करते हुए श्री शंकरलाल थवाईत अधिवक्ता, जांजगीर-चांपा को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से फास्ट ट्रेक कोर्ट, जांजगीर-चांपा में अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2001

क्रमांक 5388/829/21-ब (छ.ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 की उपधारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सी. एम. मिश्रा, एवम् श्री आर. डी. दीवान, उप जिलाध्यक्ष एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, बिलासपुर को धारा 97, 98 एवं 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 107, 109 एवं 145 के प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण हेतु उप खण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों के प्रयोग करने की शक्तियों के लिए अधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. गुरूपंच, उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

रा. प्र. क्र./45/अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनक्यारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.471 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1014/1	0.036
1014/2	0.056
1014/3	0.069
1014/4	0.044
1018	0.048
1015	0.150
1016/1	0.020
1038	0.048
योग	0.471

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2001

क्र.1113/अ/82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-बुन्देली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.82 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
70	0.05
64/1	0.33
63	0.15
41	0.40
38	0.83
317	0.22
315	0.45
316	0.15
318	0.09
328	0.20
311	0.02
329	0.47
331	0.30
354	0.05
353	0.21
350	0.34
347/1	0.29
347/2	0.05
372	0.22

(1)	(2)
373/1	0.22
376	0.42
378/1	0.13
64/2	0.23
योग	5.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—खरखरा मोंहदी पाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2001

क्र.1115/अ/82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-तुरमुड़ा, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
689	0.05
309	0.07
13	0.04
688	0.05
686	0.05
841	0.03
799	0.15
685	0.17
844	0.03
679	0.15
677	0.11
845	0.29
678	0.13
12	0.12
680	0.06
681	0.03
188	0.25
676	0.05
201	0.07
518	0.01
519	0.02
166	0.02
317	0.02
557	0.07
517/1	0.01
520	0.02
167	0.23
20	0.13
3	0.46
168	0.26
171	0.03
318	0.06
555	0.06
173	0.06
176	0.08
316	0.06
559	0.23
183	0.12
184	0.20
41	0.13
187	0.03
315	0.12
324	0.10
497	0.34

(1)	(2)
319	0.05
322	0.03
320	0.03
325	0.01
492	0.12
321	0.10
493	0.17
323	0.18
496	0.03
522	0.10
558	0.10
561	0.14
521	0.10
562	0.12
516	0.16
414	0.35
515	0.09
170	0.07
494	0.02
458	0.02
409	0.18
5	0.20
408	0.20
387	0.16
384	0.22
382	0.23
369	0.34
198/985	0.30
199/15	0.07
199/16	0.07
199/14	0.07
199/18	0.14
199/17	0.14
200	0.05
189/3	0.37
202	0.04
199/13	0.04
40	0.36
42	0.36
21	0.30
23	0.02
6	0.23
198	0.16
495/2	0.02
495/3	0.02
189/2	0.15
19/2	0.08
410/4	0.16
517/4	0.03
योग	11.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 49 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-झिलमिली, प. ह. नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.761 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5/2	0.085
3/4, 4/4	0.016
4/1, 1/3	0.098
3/1	0.036
1/10	0.069
1/11	0.040
10/4	0.045
12/3-4	0.085
11/1	0.004
12/1	0.049
12/2	0.040
12/7	0.045
12/8	0.040
14/1	0.109
योग 14	0.761

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—नारियरा माइनर नं.2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 50 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-लटिया, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
301/1	0.081
योग 1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—खटोला उपशाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 51 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-सांकर, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
235/1	0.081
240/2	0.016
योग	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है— सांकर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 52 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नंदेली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.434 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
469	0.004
467/1	0.105
468	
554	0.004
421	0.016
432	0.036
422/1	0.129
145/2	0.045
422/2	0.134
430	0.004
431	0.105
433	0.057
435	0.109
436	0.105
438	0.045
437/1	0.016
437/2	0.012
439	0.020
166/3	0.020
166/4	0.328
173	0.109
184/6	0.036
144/1	0.150
177/3	0.053
177/2	0.182
176/2	0.109
145/1	0.020
184/5	0.012
142	0.287
138/1	0.053
137	0.024
140	0.081
139	0.024
योग 32	2.434

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—काशीगढ़ माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 53 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-बम्हनीडीह, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.573 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
598/2	0.004
599/1	0.093

(1)	(2)
1650/1	0.235
600	0.004
623/2	0.089
599/2	0.097
1828/2	0.077
623/1	0.166
1828/1	0.283
1813/1	0.101
1813/2	0.081
1812/1	0.069
1812/3	0.057
1812/4	0.174
1809/1	0.142
1808	0.053
1799/1	0.113
1794/1	0.057
1794/3	0.028
1792/1	0.008
1794/2	0.113
1793	0.214
694	0.113
1782	0.093
695	0.028
696	0.182
722	0.121
721/2	0.089
725/1	0.214
720	0.004
726	0.073
717	0.012
727/1 731/1	0.174
750	0.040
747/1	0.113
748 749	0.138
751/1	0.032
1715	0.053
1714/3	0.105
1738/1	0.138
751/2	0.057
751/3	0.036
1716/1	0.040
1719/2	0.016
1716/2	0.004
1650/2	0.085
1625/1	0.340
1625/3	0.105
1625/2	0.150
1626/1	0.085
1626/4	0.069
1626/3	0.113
1633	0.380
1637/3	0.024
1636	0.053
1634	0.028
1635	0.040
1639	0.097
1637/2	0.259
1649/1 1649/2	0.255
1642	0.004
1638/2	0.061
1651/2	0.231
1638/1	0.053
1651/1	0.008
योग 65	6.573

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बम्हनीडीह डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 54 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए

आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-पीपरसत्ती, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
662/4	0.049
योग	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—पीपरसत्ती माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 55 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-पीपरसत्ती, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
233/13	0.170
योग	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—पीपरसत्ती माइनर नं. 4 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 56 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-लटिया, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
366/1	0.024
367/2	0.016
367/4	0.016
योग 3	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—पकरिया मा. नं. 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 57 सात-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-बहेराडीह, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.477 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	5/1	0.061
	4/1	0.129
	5/5	0.117
	5/13	
	10/1	0.158
	10/2	0.259
	11	0.101
	32/1	0.077
	32/2	0.065
	38/3	0.231
	38/2	0.008
	38/4	0.125
	225	0.154
	43	0.299
	44	0.069
	57/15	0.008
	57/11	0.081
	57/6	0.057
	57/4	0.057
	57/3	0.105
	55/3	0.097
	55/1	0.057
	51	0.109
	50	0.053
योग	23	2.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सिवनी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 58 सात-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.153 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124/1 क	0.101
132/16	0.049
132/1 ग	0.012
132-133/1 घ	0.032
132-133/1 क	0.036
133/2	0.036

	(1)	(2)
	134/1	0.186
	138/1	0.057
	138/5	0.069
	145	0.105
	144/1	0.008
	159/5	0.085
	143 159/4	0.016
	159/6	0.057
	159/1	0.053
	159/2	0.069
	160/1 160/3	0.097
	161/1	0.085
योग	18	1.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—चोरिया माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 59 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-बालपुर, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	43/5 43/6	0.117
योग	1	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बालपुर माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 60 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-जारा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.227 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
534/2	0.024
533/2	0.004
534/4	0.020
533/1	0.061
512	0.097
503/4	0.045

(1)	(2)
453/3	0.061
511	0.004
503/1	0.012
503/3	0.077
502/2	0.016
502/1	0.142
501/5	0.008
458/3	0.057
460/3	0.036
454/2	0.077
455	0.081
456/1	0.077
468/2	0.045
457	0.004
650	0.008
460/1	0.024
458/1	0.049
460/5	0.004
461/2	0.101
504	0.016
461/1	0.077
योग	1.227

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—अमरूवा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 61 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-संजय ग्राम, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.828 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टयर में)
(1)	(2)
720	0.696
710	0.380
842	0.089
844	0.138
843	0.121
714	0.287
845/2	0.170
867	0.028
898/2	0.316
866/1	0.061
866/2	0.138
858	0.117
855	0.061
865	0.016
860	0.069
854	0.020
918	0.012
1016	0.061
856	0.061
857	0.049
917	0.198
898/1	0.166
845/1	0.121
1071	0.040
1072	0.032
1073	0.065
1091	0.267
1333	0.049
योग 28	3.828

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—महुआ भाठा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 62 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-बासिन, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.469 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	528/7	0.162
	587	0.097
	588	0.113
	589	0.097
योग	4	0.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—घोघरा उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 63 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-पोरथा, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.672 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83	0.020
84/2	0.275
86	0.077
90/1	0.109
90/2	0.113
91	0.057
162/2	0.004
94/1	0.073
93/1	0.077
299/1	0.032
298	0.053
94/2	0.097
95	0.109
120	0.024
121	0.239
122/1	0.101
156/2	0.069
1576/3	0.004
122/2	0.210
128/1	0.129
129/1	0.053
130	0.105
154	0.053

(1)	(2)
155/1	0.049
155/2	0.012
157	0.012
158	
93/2	0.138
159	0.028
160/2	0.028
160/4	0.121
160/5	0.061
161	
160/6	0.040
162/1	0.065
163	0.016
297/1	0.004
299/2	0.113
488/4	0.089
484/1	0.020
488/8	0.089
1572	0.077
488/6	0.081
484/2	0.008
488/5	0.085
488/7	0.109
488/2	0.061
487	0.121
424/5	0.028
426/2	0.093
486/1	0.012
486/2	0.105
485/1	0.036
436/6	0.004
437/3	0.113
483/3	0.004
482/1	0.113
482/2	0.008
430/2	0.036
437/2	0.093
437/5	0.012
437/7	0.057
438	0.077
1549/2	0.105
1547	0.142
1550/2	0.020
1555/3	0.146
1555/4	0.283
1555/5	0.004
1554/1	0.085
1556/2	0.445
1556/3	0.012
1562/1	0.040
1562/4	0.004
1562/3	0.142
1561/6	0.073
1561/1,2,4,5,7,8,10	0.142
1569/7,12	0.028
1561/3	0.061
1567/2-3	0.016
1567/6	
1569/2	0.125
1569/9	0.012
1568/3	0.004
1569/10	0.045
1569/3	0.089
1569/4	0.008
1575/2	0.069
1575/1	0.142
1580/1	0.129
योग 87	6.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—घोघरा उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 64 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	59/1	0.093
योग	1	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—घोघरा उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 65 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मंद्रागोढ़ी , प. ह. नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.659 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	544/1	0.061
	544/2	0.016
	547	0.004
	545/1 ख	0.121
	546/4	0.040
	615/2	0.004
	616/1	0.263
	614/1	0.040
	614/2	0.057
	1248	0.004
	546/5	0.049
योग	11	0.659

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—घोघरा उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 66 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मसनिया कला , प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.301 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
563	0.032

(1)	(2)
608	0.955
607	0.222
605	0.202
603/4	0.316
599	0.142
601	0.089
598	0.016
597	0.312
580	0.073
596	0.190
578	0.032
592	0.567
579	0.032
581	0.073
583	0.222
809/2	0.486
809/4	0.004
809/1	0.186
809/3	0.150
योग 20	4.301

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 67 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर , प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.830 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
18/2	0.709
92	0.121
योग 2	0.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.